छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011
(पौष-2, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीया सदस्य श्रीमती लक्ष्मी बघेल का जन्म दिवस है। मैं अपनी तथा सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं एवं उनके लंबे संसदीय जीवन की कामना करता हूं। उनको जन्मदिवस की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15 एवं 17 से 25 (कुल 21) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 03, 05, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 24 एवं 25 के प्रश्नकर्ता सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री का बहिष्कार किए जाने के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं किए।

प्रश्न संख्या 07, 11, 13 एवं 16 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री राजकमल सिंघानिया, राजू सिंह ठाकुर, (डॉ.) शक्राजीत नायक एवं दूजराम बौद्ध अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 18 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/2011/1-6, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011, तथा

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2-10/2008/1-सूअप्र, दिनांक 7 अक्टूबर, 2009,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 29 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। नियम 138 (3) को शिथिल कर यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि क्रमांक (1) से (4) की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में गृह निर्माण सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने दक्षिण बस्तर क्षेत्र में मलेरिया से लोगों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले में इंदिरा आवास योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री रामदयाल उईके, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला कोरबा के ग्राम कोनकोना की एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ अनाचार किये जाने की गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 04 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (6) तक का सम्मिलित कार्य भोजनावकाश स्थगित कर निरंतरता में जारी रखे जाने एवं पद क्रमांक (7) का कार्य स्थगित किए जाने की घोषणा की।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(5)	श्री नंद कुमार पटेल
(6)	श्री नंद कुमार पटेल
(7)	सर्वश्री मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे
(8)	श्री देवजी पटेल
(9)	श्री देवजी पटेल
(10)	श्री देवजी पटेल
(11)	श्री मोहम्मद अकबर
(12)	सर्वश्री मोहम्मद अकबर, रामदयाल उइके, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर
(13)	श्री गुरू रूद्र कुमार
(15)	श्री नंद कुमार पटेल
(17)	श्री मोहम्मद अकबर
(18)	सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कुलदीप सिंह जुनेजा
(19)	श्री हृदयराम राठिया
(20)	श्री देवजी पटेल
(21)	श्री भोलाराम साहू
(22)	सर्वश्री देवजी पटेल, कुलदीप सिंह जुनेजा, धर्मजीत सिंह
(23)	श्री टी.एस. सिंहदेव
(24)	श्री देवजी पटेल
(25)	श्री भजन सिंह निरंकारी
(26)	श्री रविन्द्र चौबे
(27)	डॉ. हरिदास भारद्वाज
(28)	श्री देवजी पटेल
(29)	सर्वश्री नंद कुमार पटेल, मोहम्मद अकबर

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री परेश बागबाहरा

(2) श्री मोहम्मद अकबर

(3) श्री रामपुकार सिंह

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्री शिवराज सिंह उसारे

(6) श्री देवजी पटेल

(7) श्री संतोष बाफना

(8) श्री रामदयाल उइके

(9) डॉ. शिवकुमार डहरिया

(10) श्री रामजी भारती

(11) श्री अमितेश शुक्ल

(12) श्री जयसिंह अग्रवाल

(13) श्री भजन सिंह निरंकारी

(14) श्री खेदूराम साहू

(15) श्री नंदकुमार साहू

(16) श्री भोलाराम साहू

(17) श्रीमती कुमारी मदन साहू

(18) श्री भीमा मंडावी

(19) श्री दूजराम बौद्ध

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री रामदेव राम

(2) श्री देवजी पटेल

10. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(2) श्री बद्रीधर दीवान, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये, एवं

(3) श्री देवजी पटेल, सदस्य, सदन की जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि - रोगदा जलाश्य को हस्तांतरित करने और इससे सम्बद्ध विषयों पर जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुये।

11. अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रायपुर रेल्वे स्टेशन से विधान सभा होते हुए नई राजधानी रायपुर को मेट्रो रेल लाइन से जोड़ा जाय।"

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा।

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रायपुर जिले के बलौदाबाजार, पलारी , लवन, कसडोल, भटगांव, बिलाईगढ़, सरसींवा, रायगढ़ होते हुए झारसुगुड़ा तक रेल लाइन बनायी जाय। "

श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री नंदकुमार साहू, श्री संतोष बाफना।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 341 के अनुक्रमांक 36 में महार, मेहरा मेहर के बाद महरा शामिल किया जाय ।"

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री बैदूराम कश्यप।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(4) सदन का यह मत है कि "सरगुजा जिले के कुसमी, सामरी, धौरपुर, लुण्ड्रा क्षेत्र में नगेशिया/किसान जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाय।"

श्री रामदेव राम, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री जगेश्वर राम भगत,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, विरेन्द्र कुमार साहू, ह्दयराम राठिया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

12. नियम - 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री रविन्द्र चौबे द्वारा प्रदेश की आई.ए.एस. आफिसर्स एसोसियेशन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 संबंधी विशेषाधिकार भंग की सूचना उनके समक्ष विचाराधीन है ।

13. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

तृतीय विधानसभा के अष्ठम सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह शीतकालीन सत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 से 23 दिसम्बर, 2011 के मध्य आहूत था। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस शीतकालीन सत्र का समापन अत्यंत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है।

वर्तमान सत्र की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् प्रतिपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की गई। वस्तुतः अविश्वास प्रस्ताव प्रतिपक्ष के पास एक ऐसा प्रभावी अस्त्र है, जिसके द्वारा वह सरकार की विफलताओं को इस सभा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है और साथ ही शासन की चूक की ओर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता है। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना के महत्व को देखते हुए इसे इस सत्र के

प्रथम दिन ही सभा की अनुमति के लिये रखा गया और दिनांक 16 दिसम्बर से अविश्वास प्रस्ताव पर सभा में चर्चा प्रारंभ हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन में कुल 23 घंटे 19 मिनट तक जारी चर्चा में 48 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और शासन की चूक को प्रभावी रूप से सभा में रखा, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शासन की उपलब्धियों का उल्लेख अपने भाषण में किया और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इन तीन दिवसों का लेखा जोखा सभा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने अपनी भूमिका का निर्वाह कुशलतापूर्वक किया। मैं सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त माननीय सदस्यों को सभा में सार्थक एवं गंभीर विचार-विमर्श करने के उनके दायित्वबोध के लिये उनकी प्रशंसा करता हूं।

सभा में विचारों की अभिव्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण यह भी होता है कि सभा में विचारों की अभिव्यक्ति से सभा की गरिमा एवं प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हो। अतः मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदन में अपनी वाणी, विचार और शब्दों के संयोजन को सदन की मर्यादा के अनुकूल बनाये रखने का प्रयास करें क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि सदन की श्रेष्ठता उस सदन के माननीय सदस्यों के आचरण और व्यवहार पर निर्भर करती है।

आप सभी माननीय सदस्य इस तथ्य से भिज्ञ हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मंडल प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का एकमात्र स्थान होता है और मेरा यह भी मानना है कि संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं के पालन से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास दृढ़ता से स्थापित हो सकता है इसीलिये मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु और अधिक सजग रहने का प्रयास करें। मेरे कहने का आशय यह है कि आप माननीय सदस्य यह विचार करें कि सदन का निर्बाध संचालन कैसे हो ? सदन में अधिकाधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा कैसे हो ? चर्चा के उपरांत हमने जो निष्कर्ष प्राप्त किया उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है ? क्योंकि संसदीय सदन की सार्थकता उपरोक्त बिंदुओं पर ही अवलंबित है ।

इस सत्र में मुझे इस बात का हार्दिक संतोष है कि प्रत्येक वह विषय जो छत्तीसगढ़ की सद्भावना, संकल्प, विकास से संबंध रखता है और जिस पर सदन में चर्चा आवश्यक रही हो उस प्रत्येक विषय को सदन में उनके द्वारा रखा गया । सम-सामयिक अविलंबनीय लोकमहत्व के विषयों को माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा हेतु रखा जाना ही उनके जागरूक होने का प्रमाण है । सदन की कार्यवाही के सुव्यवस्थित संचालन में पक्ष-प्रतिपक्ष के मध्य एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है और इस पर मैं गर्व भी करता हूं कि इस सदन में पक्ष-प्रतिपक्ष के मध्य श्रेष्ठ समन्वय और आसंदी के प्रति सम्मान का भाव विद्यमान है ।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार 20 दिसंबर को राधिका वात्सल्य ग्रुप क्रिएशंस नागपुर ने हिन्दी नाटक घ्स्वामी विवेकानंदङ की जीवंत प्रस्तुति से हम सभी का मन मोह लिया ।

इस सत्र में 1980 विजिटर्स ने विधानसभा की वेबसाइट का अवलोकन किया एवं विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग 1131 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया एवं आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं को

विधानसभा परिभ्रमण में सहयोग करें, जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र-छात्राएं राज्य की सर्वोत्तम प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सके ।

अब मैं इस शीतकालीन सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 7 कार्य दिवसों में कुल 47 घंटे चर्चा हुई । इस सत्र में 779 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 338 रहे इनमें से 77 प्रश्नों पर चर्चा हुई । इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 11 प्रश्न का रहा अर्थात् प्रश्नकाल का माननीय सदस्यों ने अधिकतम लाभ उठाया । प्रश्नकाल में हमेशा की तरह आप माननीय सदस्यों ने पूरी संजीदगी से विषय विशेष से संदर्भित प्रश्नों को सदन में रखा और शासन ने उन प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश की । शासन में पारदर्शिता और शुचिता कायम रहे इस हेतु यह सदन सदैव से सजग रहा है, इसका एक उदाहरण है कि इस सत्र में दिनांक 19 दिसंबर 2011 की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान साल बीज संग्रहण में अनियमितता संबंधी प्रश्न की जांच हेतु आसंदी ने यह प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया । इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के अधिकांश विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत् सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र में 9 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 4 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये तथा चारों संकल्प स्वीकृत हुए । इस सत्र में एक शासकीय संकल्प भी लाया गया जो सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

इस सत्र में स्थगन की कुल 41 सूचनायें तथा शून्यकाल की 64 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 44 सूचनाएं ग्राह्य हुई ।

तृतीय विधानसभा के इस अष्टम सत्र में कुल 248 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुईं । जिनमें 51 सूचनाएं ग्राह्य हुईं । इस सत्र में कुल 7 विधेयक लाये गये एवं सभी विधेयक पारित हुए । इस सत्र में कुल 5 विभागीय प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वहीं 42 याचिकाएं भी सदन में प्रस्तुत हुईं । इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों के पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रदेश की 2 करोड़ 15 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करती है और मुझे सदन को यह बताने में खुशी हो रही है कि यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व सकारात्मक तरीके से कर रहा है । इसका अनुपम उदाहरण यह है कि सदन ने सर्वानुमति से इस प्रदेश के किसानों एवं आदिवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए शासकीय सेवा में आदिवासियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का विधेयक पारित किया । वहीं दूसरी ओर कृषकों को उनकी उपज का समुचित मूल्य मिले इस उद्देश्य से धान का समर्थन मूल्य क्रमशः 1980 रूपए एवं 2000 रूपए करने का शासकीय संकल्प सर्वानुमति से पारित किया । मुझे विश्वास है कि यह कदम छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा ।

माननीय सदस्यों को उनके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में जागरूक करने की दृष्टि से तम्बाखू नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला आयोजित की गई जिसमें देश के प्रख्यात केंसर चिकित्सक डॉ.पकज चतुर्वेदी, टाटा हास्पिटल, मुंबई ने अपना सारगर्भित व्याख्यान दिया ।

इस प्रकार यह सत्र सभी मायनों में सफल रहा और इसकी सफलता का श्रेय सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी, मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य, संसदीय सचिव एवं समस्त सम्माननीय सदस्यों को जाता है । जिन्होंने संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं के पालन का अद्वितीय उदाहरण अपने कार्यकरण से प्रस्तुत कर इस सत्र को निर्विघ्न सफल होने में अपना अधिकतम सहयोग दिया ।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है । मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित आवश्यक स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा । इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एवं सभा के संचालन में सहयोग देने के लिए उपाध्यक्ष सहित सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । सभापति तालिका में प्रथम बार नामांकित महिला सदस्य श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर को भी बधाई देता हूं ।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका ।

परम्परा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी बजट सत्र मार्च माह के द्वितीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है ।

इस अवसर पर मैं क्रिसमस एवं नववर्ष की अनन्य शुभकामनाएं आपको एवं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को देता हूं कि आने वाला वर्ष हम सभी के लिये मंगलकारी हो साथ ही यह आवह्न करना चाहता हूं कि आइए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें ।

धन्यवाद!

जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष, ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किये।

14. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 3.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा